

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com)

क्रमांक 399/खाद्य-संचा/2024
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 19/01/2024

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में प्रचलित राशनकार्डों के नवीनीकरण विषयक।

संदर्भ :- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग का पत्र क्रमांक एफ 10-64/2009/29-2 (2) दिनांक 19.01.2024

राज्य शासन के विषयांतर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 19.01.2024 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों के समयबद्ध नवीनीकरण के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार राज्य में प्रचलित समस्त अन्त्योदय राशनकार्ड, प्राथमिकता राशनकार्ड, निराश्रित राशनकार्ड, निःशक्तजन राशनकार्ड तथा सामान्य राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. **राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु समय-सीमा** - राज्य शासन के निर्देशानुसार राशनकार्डों के नवीनीकरण की कार्यवाही 29.02.2024 तक पूर्ण किया जाना है, अतः आवेदन की प्राप्ति तथा नवीनीकृत राशनकार्ड प्रदाय हेतु निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की जाती है -

- 1.1) हितग्राही द्वारा आवेदन की समय-सीमा दिनांक 25.01.2024 से 15.02.2024 तक होगी।
- 1.2) हितग्राही को राशनकार्ड का प्रदाय दिनांक 01.02.2024 से 29.02.2024 तक किया जावे।

जिला स्तर से लेकर उचित मूल्य दुकान स्तर तक उपरोक्त समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर ली जावे।

2. **राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया** -

राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राशनकार्डों के समयबद्ध नवीनीकरण हेतु आवेदनों की प्राप्ति खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प के जरिये की जावेगी। यह एप्प हितग्राही द्वारा अपने मोबाईल में अथवा उचित मूल्य दुकानों में संधारित टैबलेट अथवा दुकान संचालक के पंजीकृत एन्ड्रॉयड मोबाईल में डाउनलोड कर इसके जरिये आवेदन की प्रस्तुति की जा सकेगी।

- 2.1) **नवीनीकरण आवेदन हेतु एप्प** - राशनकार्ड का नवीनीकरण का आवेदन खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प के माध्यम से किया गया है। यह एप्प हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाईट (<https://khadya.cg.nic.in/>) से डाउनलोड किया जा सकेगा।

- 2.2) **हितग्राही द्वारा स्वयं नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया** -

राशनकार्डधारी द्वारा अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल फोन में स्वयं खाद्य विभाग के एप्प को डाउनलोड करने के उपरांत इसके जरिये राशनकार्ड के प्रथम पृष्ठ में पूर्व से उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

P

2.2.1) राशनकार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही राशनकार्ड नंबर मुखिया का नाम, पति/पिता का नाम लिंग, आयु, राशनकार्ड का प्रकार, उचित मूल्य दुकान का क्रमांक तथा राशनकार्ड में दर्ज समस्त सदस्यों की जानकारी सहित इनके ई-केवायसी की स्थिति एप्प के जरिये विभागीय डेटाबेस से तत्काल प्रदर्शित हो जावेगी। हितग्राही के राशनकार्ड में शामिल पीडीएफ में क्यूआर कोड अपठनीय होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा अपने राशनकार्ड क्रमांक तथा मोबाईल नंबर को एप्प में दर्ज किया जा सकेगा तथा उसके द्वारा दर्ज मोबाईल नंबर एवं राशनकार्ड में दर्ज मोबाईल नंबर समान होने की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

2.2.2) चूंकि वर्तमान में समस्त राशनकार्डधारी सदस्यों के ई-केवायसी की कार्यवाही प्रचलित है, अतः राशनकार्ड में शामिल मुखिया अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के ई-केवायसी का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में आवेदक एप्प द्वारा प्रदर्शित 'नवीनीकरण हेतु आवेदन' के बटन को क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह कार्यवाही पूर्ण होते ही एप्प के जरिये आवेदक को उसके आवेदन को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी तथा 30 दिवस के भीतर नवीनीकृत राशनकार्ड जारी होने संबंधी सूचना प्राप्त हो जावेगी। शेष आगामी कार्यवाही वर्तमान में राशनकार्ड जारी करने हेतु प्रक्रिया के अनुसार पीडीएफ निर्माण, राशनकार्ड में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के उपरांत नवीनीकृत राशनकार्ड जारी किया जावेगा।

2.3. दुकान संचालक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया -

सर्वप्रथम उचित मूल्य दुकान संचालकों को खाद्य विभाग के मोबाईल एप्प को अपने टैबलेट में डाउनलोड कर अपनी दुकान की आईडी को पंजीकृत करना होगा, जिस हेतु दुकान संचालकों को उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर में ओटीपी नंबर भेजकर सत्यापन किया जावेगा। उचित मूल्य दुकान संचालक के सफलतापूर्वक पंजीयन के उपरांत उसके दुकान से संलग्न सभी राशनकार्डधारियों तथा इसमें शामिल सदस्यों की जानकारी नवीनीकरण हेतु उपलब्ध हो जावेगी। दुकान संचालक द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में ही किया जा सकेगा।

2.3.1) उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा उसके दुकान से संलग्न राशनकार्डों का नवीनीकरण बिन्दु क्रमांक 2.2 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में किया जा सकेगा। किन्तु ऑफलाइन संचालित उचित मूल्य दुकान के संचालक को उसके दुकान से संलग्न राशनकार्डधारियों का पूर्ण डेटा एप्प के जरिए अपने टैबलेट/पंजीकृत मोबाईल में प्राप्त करने हेतु कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में आकर डेटा डाउनलोड की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके पश्चात् बिन्दु क्रमांक 2.2 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर नवीनीकरण के प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्राप्ति के उपरांत कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में आकर दुकान संचालक को नवीनीकरण का डेटा विभागीय सर्वर में प्रेषित करना होगा।

2.3.2) हितग्राही के राशनकार्ड में शामिल पीडीएफ में क्यूआर कोड अपठनीय होने की स्थिति में दुकान संचालक हितग्राही के राशनकार्ड कमांक एवं हितग्राही के विभागीय डेटाबेस में दर्ज मोबाईल को एप्प में दर्ज कर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में हितग्राही से राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु संचालक खाद्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र की लिखित प्रति दुकान संचालक द्वारा प्राप्त की जावेगी तथा प्राप्त लिखित आवेदन नवीनीकरण की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में जमा की जावेगी तथा इन आवेदनों की प्राप्ति उपरांत ही छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण तथा पीडीएफ प्रिंट करने की कार्यवाही की जावेगी।

3. **राशनकार्ड पीडीएफ तैयार करना** – छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक तथा लिखित आवेदन के आधार पर नवीन राशनकार्ड हेतु पीडीएफ तैयार किया जावेगा तथा निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा अंकित कर राशनकार्ड कच्हर से संलग्न किया जावेगा।
4. **राशनकार्ड कवर का प्रदाय** – खाद्य संचालनालय द्वारा राज्य शासन द्वारा अनुमोदित राशनकार्ड कवर का मुद्रण कराकर वितरण हेतु खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी कार्यालय को तथा इस कार्यालय से स्थानीय निकायों को तदनुसार राशनकार्ड कच्हर प्रदाय किया जावेगा।
5. **राशनकार्ड का वितरण** – स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर शेष समस्त नवीनीकृत राशनकार्ड निःशुल्क प्रदाय किया जावे जबकि सामान्य राशनकार्ड 10 रुपये प्रति कार्ड की राशि सहित हितग्राही को प्रदाय की जावेगी। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत/नगरीय निकायवार नये राशनकार्डों का वितरण कराया जावे तथा इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जावे –
 - 5.1) ग्राम पंचायत/नगरीय निकायवार राशनकार्ड के वितरण हेतु पंजी तैयार की जावे जिसमें जारी किए जाने वाले राशनकार्ड से संबंधित मुखिया का नाम, राशनकार्ड कमांक, पुराने राशनकार्ड समर्पित कराने की जानकारी सहित हितग्राही के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जावे। ध्यान रखें कि वर्तमान में प्रचलित पुराने राशनकार्डों को समर्पित कराकर ही नवीनीकृत राशनकार्ड जारी किया जावे।
 - 5.2) प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में वितरित नवीनीकृत राशनकार्ड की जानकारी स्थानीय निकायों के माध्यम से खाद्य विभाग की वेबसाइट में नियमित रूप से दर्ज कराई जावे ताकि वितरित राशनकार्डों की प्रगति की अद्यतन जानकारी मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध हो जावे।
6. **प्रशिक्षण** – राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु विभागीय एप्प के जरिए आवेदन की प्राप्ति तथा नवीनीकृत राशनकार्ड जारी करने संबंधी प्रक्रिया के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जावे –

6.1) समस्त जिलों के खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी/सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षकों को खाद्य संचालनालय द्वारा मास्टर ट्रेनर का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 22.01.2024 को प्रदाय किया जावेगा।

6.2) जिला मुख्यालय स्तर पर दिनांक 23.01.2024 को मास्टर ट्रेनर द्वारा विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जावेगा एवं दिनांक 24.01.2024 को विकासखण्ड स्तर पर समस्त पंचायतों के सचिव एवं आवश्यकानुसार अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य पूर्ण किया जावेगा।

7. प्रचार-प्रसार - चूंकि राशनकार्डों का नवीनीकरण विभागीय एप्प में इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत कर पहली बार किया जा रहा है, अतः इसका समुचित प्रचार-प्रसार आवश्यक है -

7.1) सभी उचित मूल्य दुकानों, ग्राम पंचायतों में राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु आवेदन की समयावधि, आवेदन की प्रक्रिया आदि संबंधी जानकारी बैनर/पोस्टर अनिवार्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जावे। साथ ही सभी गांव में इसके संबंध में अनिवार्य रूप से मुनादी कराई जावे।

7.2) राशनकार्डों के नवीनीकरण के संबंध में उपरोक्त जानकारी स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

8. राशन की पात्रता - राशनकार्ड नवीनीकरण अवधि में किसी भी हितग्राही को पात्रतानुसार राशन सामग्री के वितरण से इंकार नहीं किया जावेगा तथा इस अवधि में उसके द्वारा प्रस्तुत पुराने राशनकार्ड के आधार पर राशन सामग्री का वितरण किया जावेगा।

9. अन्य -

9.1) ऐसे राशनकार्ड जिसमें केवल 1 सदस्य हैं तथा वह शारीरिक रूप से निःशक्त अथवा वृद्ध होने के कारण जिला प्रशासन के प्रस्ताव अनुसार उनके लिए राशन सामग्री के उठाव हेतु नॉमिनी नियुक्त किए गए हैं तथा जिनका ई-केवाईसी नहीं हो सका है, उनके राशनकार्ड के स्वतः नवीनीकरण हेतु विभागीय डेटाबेस में प्रावधान होगा। किन्तु जिला प्रशासन द्वारा संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालकों को ऐसे हितग्राहियों के घर भेजकर उनके ई-केवाईसी का कार्य भी पूर्ण कराया जावे।

9.2) बस्तर संभाग के जिलों में वर्तमान में जीपीआरएस कनेक्टिविटी के अभाव अथवा अनियमित कनेक्टिविटी के कारण 459 दुकाने ऑफलाइन संचालित हैं तथा इन क्षेत्रों में ई-केवाईसी की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु किसी भी एक सदस्य के ई-केवाईसी की बाध्यता के प्रावधान को राज्य शासन के निर्देशानुसार शिथिल किया गया है। किन्तु ऐसे हितग्राही परिवारों को भी राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु बिन्दु क्रमांक 2.2 अथवा 2.3 में उल्लेखित विकल्प का प्रयोग कर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

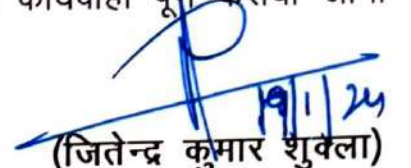
9.3) उचित मूल्य दुकान स्तर पर राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले हितग्राहियों की सहायता के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक दुकान हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे।

9.4) केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी समस्त राशनकार्डों में शामिल सदस्यों के नवीनीकरण की कार्यवाही 29 फरवरी 2024 तक पूर्ण की जाना है, अतः राशनकार्ड नवीनीकरण के दौरान छूटे हुए सदस्यों के ई-केवाईसी का कार्य भी समय सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जावे।



9.5) हितग्राही द्वारा स्वयं के मोबाईल से एप्प द्वारा आवेदन करने के उपरांत उसे आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा, जिसे वह एप्प के जरिये दर्ज कर अपने राशनकार्ड के नवीनीकरण की स्थिति ज्ञात कर सकेगा।

उपरोक्त सभी निर्देशों के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 29 फरवरी, 2024 तक पूर्ण किया जाकर इसे हितग्राहियों को वितरण की कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।


(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)
संचालक

पृ. क्रमांक 400/खाद्य-संचा/2024

नवा रायपुर, दिनांक 19/01/2024

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, अटल नगर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, अटल नगर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर।
5. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मंत्रालय, अटल नगर।
8. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।


19/1/24.
संचालक

राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन

प्रति,

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत,
ग्राम/वार्ड.....
ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय
तहसील/विकासखण्ड
जिला

विषय :- राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मैं निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करती /करता हूँ:-

1. आवेदक का पूरा नाम सरनेम सहित (जैसा कि आधारकार्ड में नाम दर्ज है।) -

(हिन्दी में)

2. आवेदक के पिता/पति का नाम -

3. राशनकार्ड क्रमांक -

4. राशनकार्ड का प्रकार -

5. आवेदक के परिवार के सदस्यों का विवरण -

क्र.	आधार कार्ड के अनुसार सदस्य का नाम (हिन्दी में)	आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि	लिंग	आवेदक मुखिया से संबंध	आधारकार्ड क्रमांक									

मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में जो विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य के नाम से न तो पृथक से राशनकार्ड है और न ही उनमें से किसी का नाम छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य जिले के राशनकार्ड में दर्ज है। आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज जानकारी की पुष्टि हेतु मेरे पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिसकी मांग किये जाने पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

स्थान -

दिनांक -

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम